न्याः–मुकेश कुमार शिवहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.)

एम.जे.सी.आर. 40 / 2022
संस्थित दिनांक–12.10.2022
फाइल नम्बर–666 / 2022
सी.एन.आर. नंबर MP1908-001008-2012

कृष्ण कुमार शर्मा तनय मुन्नूलाल शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी पाठक का पूरा लालागोपालगंज थाना नवावगंज जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) ....**आवेदक।**

/ /विरूद्ध/ /

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

........**अनावेदक।**

24.01.2023

आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री एस0 एस0 शर्मा उपस्थित।

प्रकरण दस्तावेज प्रस्तुति हेतु नियत है।

अधिवक्ता द्वारा इलाहाबाद बैंक की एफ0डी0 की जमा रसीद क्रं–017551 की सत्यापित प्रति पेश की गई।

प्रकरण आवेदन पत्र पर आदेश हेतु थोड़ी देर पश्चात् पेश हो।

(**मुकेश कुमार शिवहरे**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.)

पुनश्चः–

आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री एस0 एस0 शर्मा उपस्थित।

पत्रावली आवेदन पत्र बाबत् लौटाये जाने मूल दस्तावेज पर आदेश हेतु नियत है।

आवेदन पत्र पर तर्क सुने गये।

इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत् मूल दस्तावेज वापस किये जाने (अन्तर्गत आदेश 13 नियम 9 व्य.प्र.सं.) का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन पत्र इस आशय का है कि प्रकरण में दिनांक 24.08.2022 को निर्णय पारित किया जा चुका है। प्रकरण में आवेदक द्वारा मूल दस्तावेज **''इलाहाबाद बैंक की एफ0डी0 की रसीद कमांक 017551''** प्रकरण में पेश किया था, जिसे वह वापस प्राप्त करना चाहता है। अतः आवेदक द्वारा वांछित मूल दस्तावेज उसे वापस दिलाए जाने की कृपा की जाये का निवेदन किया।

आवेदन पत्र पर तर्क सुने गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि मूल रेग्युलर दाण्डिक प्रकरण क्र0–आर0सी0टी0/200092/2016 शासन वि0 कृष्ण कुमार शर्मा दिनांक 24.08.2022 को निर्णीत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा पेश मूल दस्तावेज **''इलाहाबाद बैंक की एफ0डी0 की रसीद कमांक 017551''** वापस चाहा गया है। चूंकि मूल रेग्युलर दाण्डिक प्रकरण क्र0–आर0सी0टी0/200092/2016 का निराकरण किया जा चुका है और वांछित उक्त मूल दस्तावेज आवेदक द्वारा ही प्रकरण मे पेश किए जाने दर्शित होता है। अतः मूल दस्तावेज आवेदक को वापस किया जा सकता है। परिणामस्वरूप आवेदन उचित होने से निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है:–

आवेदक न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर वह स्वयं के व्यय पर उक्त मूल दस्तावेज को न्यायालय मे प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त शर्तो का पालन किये जाने पर मूल दस्तावेज **''इलाहाबाद बैंक की एफ0डी0 की रसीद कमांक 017551''** को आवेदक को वापस किया जाकर आदेश पत्रिका के हशिये मे तत्संबंध मे पावती ली जाकर उक्त मूल दस्तावेज के स्थान पर मूल दस्तावेज की प्रमाणित सत्यप्रति दस्तावेज मूल प्रकरण में संलग्न किया जाये तथा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों पर इस आशय की टीप अंकित की जावे कि ''''**इलाहाबाद बैंक की एफ0डी0 की रसीद कमांक 017551''** को आवेदक के आवेदन पर आदेश दिनांक 24.01.2023 द्वारा उसे वापस किया गया है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(मुकेश कुमार शिवहरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.)

MUKESH KUMAR SHIVHARE

Digitally signed by MUKESH KUMAR SHIVHARE
Date: 2023.01.25 11:34:38 +0530